भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2684

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

कोयला-आयात पर निर्भरता

2684. श्री के. गोपीनाथ:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कोयले के आयात पर रोक लगाने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कोयला-आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : जी, हां। घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत में घरेलू कोयला उत्पादन बढ़कर 997.26 मिलियन टन (मि.ट.) हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) की तुलना में 11.65% की वृद्धि दर्ज करता है। वर्तमान वित्त वर्ष में जुलाई 2024 तक, कोयला उत्पादन 321.41 मि.ट. था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.6% की वृद्धि दर्ज करता है। तथापि, मौजूदा आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्क का भुगतान कर अपने संविदात्मक करार के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयला आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने और कोयला आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) वार्षिक अनुबंध मात्रा (एसीक्यू) को उन मामलों में नियामक आवश्यकता के 100% तक बढ़ाया गया है, जहां एसीक्यू को या तो नियामक आवश्यकता (गैर-तटीय) के 90% तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को नियामक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्र) के 70% तक कम कर दिया गया था। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक घरेलू कोयले की

आपूर्ति होगी जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

(ii) शक्ति नीति के पैरा ख (viii) (क) के प्रावधानों के तहत, विद्युत विनिमयों में किसी भी उत्पाद के माध्यम से अथवा दीप पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में उस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत की बिक्री के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, वर्ष 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोयला लिंकेज की कार्य-अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए प्रस्तावित कोयले तथा एनआरएस लिंकेज नीलामी में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए कोकिंग कोयला लिंकेज की कार्य-अवधि में वृद्धि से कोयला आयात के प्रतिस्थापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(iii) सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।

(iv) सरकार ने 'वॉशरी डेवलोपर एंड ऑपरेटर (डब्ल्यूडीओ) मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोयले का उपयोग करके इस्पात' के नाम के साथ एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत एक नए उप-क्षेत्र के सृजन का अनुमोदन किया है। संविदा अवधि की संपूर्ण अवधि के लिए चिन्हित खानों से इस्पात क्षेत्र को दीर्घावधि कोयला लिंकेज के आश्वासन के साथ नए उप-क्षेत्र के सृजन से देश में वॉश्ड कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढेगी और देश में इस्पात उद्योग द्वारा घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी, जिससे कोकिंग कोयले के आयात में कमी आएगी।

(v) कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय में दिनांक 29.05.2020 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियों और पत्तनों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। अब तक आईएमसी की ग्यारह बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देशों पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डाटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात को ट्रेक कर सके। कोयले की और अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं।

(vi) कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/निकासी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v. राजस्व शेयरिंग आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है, साथ ही, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम ऑफर पर 50% की छूट) दिया गया है।

vi. वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जिसमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल शामिल है।

****